



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी संख्या - 1000794 वर्ष 2001

शिवराम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

कलेक्टर, हरदोई और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : विनोद कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, आर. एन. गुप्ता, विनोद
कुमार सिन्हा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति इरशाद अली

1. दिनांक 17.03.2026 की कार्यालय आख्या देखी गई, जिसमें यह बताया गया है कि विपक्षी संख्या 4 को दिनांक 06.02.2026 को जारी किया गया और 07.02.2026 को भेजा गया स्पीड पोस्ट कार्ड नोटिस का लिफाफा जो डिलीवर नहीं हुआ था न तो वापस प्राप्त हुआ है और न ही आज तक कोई वकालतनामा/अभिभाषक पत्र दाखिल किया गया है। अतः उच्च न्यायालय नियमों के अध्याय VIII नियम 12 स्पष्टीकरण II के आलोक में विपक्षी संख्या 4 पर नोटिस की तामील पर्याप्त मानी जाती है।
2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने सर्टिओरारी/उत्प्रेषण रिट की प्रकृति का एक रिट जारी करने की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 3 और 2 द्वारा पारित दिनांक 03.12.1999 और 29.12.2000 के आक्षेपित निर्णय और आदेशों को रद्द किया जा सके, ये निर्णय और आदेश क्रमशः रिट याचिका के अनुबंध संख्या 4 और 6 में संलग्न हैं।
3. इस प्रकरण के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को विवादित जमीन का पट्टा, उसकी पत्नी की लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टॉमी (महिलाओं के लिए एक स्थायी गर्भनिरोधक (नसबंदी) प्रक्रिया है), करवाने के कारण दिया गया था, और इसी क्रम में 25.01.1986 को उस क्षेत्र के लेखपाल

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ने याचिकाकर्ता को दिए गए पट्टे के अनुसार जमीन का कब्जा सौंप दिया था, और विवादित जमीन का कब्जा सौंपे जाने के पश्चात से ही वह जमीन याचिकाकर्ता के कब्जे में है।

यू . पी. जेड. ए. और एल. आर अधिनियम / उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 49(क) के अंतर्गत एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता विवादित भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए है। याचिकाकर्ता ने एक आपत्ति दर्ज की, जिसमें विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया कि उक्त जमीन भूमिहीन याचिकाकर्ता को पट्टे पर दी गई थी। दिनांक 31.12.1999 के आदेश के माध्यम से तहसीलदार ने साक्ष्यों की जाँच किए बिना ही यह आदेश पारित कर दिया कि याचिकाकर्ता विवादित भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने विपक्षी संख्या 2 के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की, जिसे दिनांक 29.12.2000 के आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया गया। उपर्युक्त दोनों आदेशों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने यह वर्तमान रिट याचिका दाखिल की है।

4. यू. पी. जेड. ए. और एल. आर अधिनियम / उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 49(क) के अंतर्गत एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता विवादित भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए है। याचिकाकर्ता ने एक आपत्ति दर्ज की, जिसमें विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया कि उक्त भूमि भूमिहीन याचिकाकर्ता को पट्टे/लीज पर दी गई थी। दिनांक 31.12.1999 के आदेश के माध्यम से तहसीलदार ने साक्ष्यों की जाँच किए बिना ही यह आदेश पारित कर दिया कि याचिकाकर्ता विवादित भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिकाकर्ता ने विपक्षी संख्या 2 के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की, जिसे दिनांक 29.12.2000 के आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया गया। उपर्युक्त दोनों आदेशों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने यह वर्तमान रिट याचिका दाखिल की है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह प्रस्तुत किया है कि यदि विवादित भूमि का कब्जा याचिकाकर्ता को गलत तरीके से दिया गया होता, तो तहसीलदार और पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा गाटा संख्या 142 का कब्जा याचिकाकर्ता को सौंपने का आदेश पारित किया गया होता।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह प्रस्तुत किया है कि तहसीलदार और पुनरीक्षण न्यायालय का यह दायित्व था कि वे विवादित भूमि से याचिकाकर्ता को बेदखल करने के बजाय गाटा संख्या 142 का कब्जा उसे सौंप दें।

7. इसके विपरीत विद्वान स्थायी अधिवक्ता इस बात से इनकार नहीं करते कि याचिकाकर्ता को गाटा संख्या 142 पर कब्जा दिया जाना था। इसके पश्चात् वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि याचिकाकर्ता को गलत गाटा संख्या पर कब्जा सौंप दिया गया था, तो आक्षेपित आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ता को उस भूमि का कब्जा दे दिया गया होता, जिस पर उसे पट्टा / लीज दिया गया था।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की विरोधी दलीलों को सुनने के पश्चात् मैंने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. दिनांक 31.12.1999 के आक्षेपित आदेश का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि जिस भूमि का कब्जा लेखपाल द्वारा याचिकाकर्ता को सौंपा गया था, वह सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उक्त भूमि का कब्जा उसे नहीं दिया जाएगा।
10. पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा भी तहसीलदार द्वारा पारित उस आदेश की पुष्टि की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता को गाटा संख्या 142 पर पट्टे/लीज पर दी गई सही जमीन का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश में एक स्पष्ट त्रुटि की है, तहसीलदार को गाटा संख्या 142 पर याचिकाकर्ता को पट्टे/लीज पर दी गई सही जमीन का कब्जा सौंपने का निर्देश दिए बिना, पारित किया गया आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि से उचित नहीं है और इस न्यायालय द्वारा इसे रद्द किया जाना चाहिए।
11. इस न्यायालय की राय है कि तहसीलदार को यह निर्देश दिया जा सकता है कि वे लेखपाल या पर्यवेक्षक, कानूनगो द्वारा क्षेत्रफल की माप कराते हुए गाटा संख्या 142 का कब्जा याचिकाकर्ता को सौंप दें।
12. तदनुसार इस रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, और तहसीलदार को यह निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर गाटा संख्या 142 का कब्जा याचिकाकर्ता को सौंप दें।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति इरशाद अली)

24 मार्च 2026

जी.के. सिन्हा

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।